

न्यायालय :-सदस्य, द्वि०अति० मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी— माखनलाल झोड़)

मो०दु०दा० क्र.-41 / 2015

संस्थित दिनांक -01.12.2014

सी.आई.एस.क्र. 234501054012014

सुनिल कुमार उम्र 22 वर्ष पिता प्रहलाद धकेता जाति कोष्टी
निवासी—वार्ड नंबर 9 उकवा तहसील बैहर
जिला बालाघाट

आवेदक।

— / / **विरुद्ध** / / —

- 1— पवन भंडारी पिता हरिबाबू {वाहन चालक}
निवासी—वार्ड नंबर 11 बूढी तहसील जिला बालाघाट
- 2— सलीमउद्दीन पिता अमीनउद्दीन {वाहन स्वामी}
निवासी—वार्ड नंबर 23 सिविल लाईन पावर हाउस रोड बालाघाट
- 3— शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय
स्टेशन रोड तहसील व जिला बालाघाट — — **अनावेदकगण**

=====

आवेदक द्वारा श्री डी०आर० बिसेन अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 1, 2 एकपक्षीय।

अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री सुभाष शुक्ला अधिवक्ता।

=====

— / / / **अधिनिर्णय** / / / —

(आज दिनांक 09 फरवरी 2017 को घोषित)

1. आवेदक सुनिल ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 29.05.2014 को 10 बजे ग्राम लौगुर एवं उदघाटी के बीच सड़क की मोड़ पर वाहन क्रमांक एम.पी. 50 सी. 1961 इंडिको कार द्वारा कारित किए जाने पर स्थायी अपंगता आने से अनावेदकगण के विरुद्ध पेश किया है।

2. आवेदक के आवेदन पत्र का सार यह है कि आवेदक सुनील कुमार उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 9 उकवा तहसील बैहर जिला बालाघाट का निवासी होकर मुर्गी व्यवसाय कर 12,000/-रु. प्रतिमाह आय अर्जित कर परिवार का उदरपोषण करता था। दिनांक 29.05.2014 को सुबह 10:00 बजे लौगुर एवं उदघाटी के बीच लोकमार्ग पर इंडिको कार क्रमांक एम.पी. 50 सी 1961 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 ने उतावलेपन/लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर आवेदक को दुर्घटनाग्रस्त किया जिससे उसके दाहिने पैर की टीबिया और फेबुला हड्डी चूर-चूर हो गई, जांघ की हड्डी के दो टुकड़े हो गये, शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें हुई। अनावेदक क्रमांक 1 पर थाना रूपझर में अपराध क्रमांक 71/14 कायम हुआ है।

3. आवेदक को पूर्व में हुए उपचार तथा भविष्य के उपचार में 6,50,000/-रुपए व्यय हुए हैं तथा व्यय की संभावना है। दुर्घटना से स्थायी असमर्थता कारित हुई है। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 है, अनावेदक क्रमांक 3 के पास दुर्घटना दिनांक को बीमित होकर बीमा पॉलिसी नंबर 25331013130150050522 से दिनांक 29.09.13 से दिनांक 28.09.13 तक के लिये वैध है। दुर्घटना होने से आवेदक की आय की क्षति 7,00,000/-रु, शारीरिक मानसिक क्लेश हेतु 1,00,000/-रु, दुर्घटना दिनांक से वर्तमान समय तक उपचार में हुआ व्यय 6,50,000/-रु, भविष्य में ईलाज पर व्यय 2,00,000/-रु, वेतन कटौती से क्षति 60,000/-रु, स्वयं की सेवा, सुश्रुषा में व्यय 1,40,000/- इस प्रकार कुल 18,50,000/-रु. की क्षतिपूर्ति के लिये दावा पेश किया है, दुरभि संधि नहीं है। उक्त राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाई जावे, वाद व्यय दिलाया जावे।

4. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने उत्तर पेश नहीं किया है। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के उत्तर का सार यह है कि आवेदक की आय प्रतिमाह मुर्गी व्यवसाय से 12,000/-रु. होना इंकार किया है। दिनांक 29.05.2014 को दुर्घटनास्थल पर सुबह 10 बजे दुर्घटना होना इंकार किया है, दुर्घटना से आवेदक के पैर की हड्डियां टूट जाना, टेबुला, फेबुला हड्डी की चूरा हो जाना, शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोट आना इंकार किया है, उपचार में 6,50,000/-रु. व्यय होना इंकार किया है। दिनांक 21.05.2014 से 02.06.2014 तक मिताली नर्सिंग होम बालाघाट तथा दिनांक 02.06.2014 से 14.06.2014 तक श्योरटेक हॉस्पिटल नागपुर में भर्ती रहकर उपचार कराना इंकार किया है, आवेदक पूर्णतः विकलांग होना इंकार किया है, आवेदक ने 18,50,000/-रु. का दावा गलत किया है।

5. विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि संबंधित पुलिस थाना रूपझर ने धारा 134 मो.या.अधि. के तहत बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना दस्तावेजों के साथ नहीं दी है। वाहन स्वामी ने बीमा कंपनी को सूचना नहीं दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्रेषित नहीं की है। धारा 158-6 मो.या.अधि. का उल्लंघन है। क्षतियों का आंकलन मनमाने ढंग से कर मनमाने ढंग से मांगनी की है। आवेदक ने स्वयं मुर्गी व्यवसाय करने के संबंध में प्रमाण पेश नहीं किया है, आवेदक उपचार पश्चात पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, स्थायी अपंगता का कथन असत्य किया है। दुर्घटना के समय आवेदक स्वयं की व्यवसाय चला रहा था, किंतु उसने आर.सी. बुक, ड्रायविंग लाईसेंस पेश नहीं किया है, आवेदक की असावधानी से दुर्घटना कारित हुई है। धारा 170 मो.या.अधि. के अधीन बीमा कंपनी को प्रतिरक्षा दी जावे। अना.क्र. 1 एवं वाहन स्वामी ने आवेदक के साथ दुरभि संधि कर ली है, आवेदन निरस्त किए जाने की याचना की है।

आवेदन के निराकरण हेतु निम्न वादप्रश्न निर्मित किए गए हैं :-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 29.05.2014 को 10:00 बजे ग्राम लौगुर से उदघाटी के बीच लोकमार्ग पर मोड़ पर वाहन इंडिगो कार क्रमांक एम.पी. 50 सी. 1961 को अना.क्र. 1 ने लापरवाहीपूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आवेदक सुनील कुमार को घोर अथवा गंभीर उपहति कारित कर अपंग बनाया?	प्रमाणित
2	क्या उक्त दिनांक, समय, स्थान पर चलाया गया उक्त वाहन अना.क्र. 2 के नाम पंजीबद्ध होकर अना.क्र. 3 के पास बीमित था ?	प्रमाणित
3	क्या दुर्घटना के समय उक्त वाहन की बीमा शर्तों का उल्लंघन कर अना.क्र. 1 द्वारा वाहन चलाया गया था?	प्रमाणित नहीं।
4	क्या आवेदक, अनावेदकगण पृथक्-पृथक् अथवा संयुक्त रूप से उपरोक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई क्षति की पूर्ति हेतु 18,50,000/-रु. और उस पर 9 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है?	अधिनिर्णय की कंडिका 17 के अनुसार
5	सहायता एवं व्यय ?	अधिनिर्णय की कंडिका 19 के अनुसार

वादप्रश्न क्रमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

6. आहत सुनील कुमार (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपना मुख्य कथन पेश कर पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक 29.05.14 को शपथकर्ता अपने गांव उकवा से बालाघाट की ओर अपने व्यवसाय की खरीदी के संबंध में जा रहा था। सामने से आ रहे इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 50 सी. 1961 को तेज गति, लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाकर

सामने से टक्कर मार दी जिससे शपथकर्ता मुर्छित होकर नीचे गिर गया, जिससे सिर में गंभीर चोटें आयी। शपथकर्ता का पैर पूर्ण रूप से टूटकर हड्डी अलग अलग होने से वह बेहोश हो गया, अन्य लोगों ने उठाकर उसे मिताली नर्सिंग होम बालाघाट में भर्ती किया।

7. पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि दुर्घटना की रिपोर्ट थाना रूपझर वाहन क्रमांक एम.पी. 50 सी. 1961 के वाहन चालक के विरुद्ध दर्ज कराने पर अपराध पंजीबद्ध हुआ। वाहन स्वामी ने न्या.दंडा.प्र.श्रे. बैहर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर वाहन सुपुर्दनामे में प्राप्त किया। वाहन चालक पर न्यायालय मामला विचाराधीन है। पैर की दो स्थानों में हड्डी टूट जाने से स्थायी रूप से विकलांग हो गया है।

8. इसी साक्षी ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 10 में साक्ष्य दी है कि अपने पक्ष समर्थन में थाना रूपझर के अपराध क्रमांक 71/14 से संबंधित पुलिस दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पेश की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.ए. 1 है, मिताली अस्पताल से थाना कोतवाली को दी गई सूचना प्र.ए. 3 है, मुलाहिहजा रिपोर्ट प्र.ए. 9, एक्स-रे रिपोर्ट प्र.ए. 10 से प्र.ए. 12, मौकानक्शा प्र.ए. 13, गिरफ्तारी पत्र प्र.ए. 14, वाहन संपत्ति जप्ती पत्र प्र.ए. 15 एवं प्र.ए. 17, नुकसानी पंचनामा प्र.ए. 18, अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए. 20, विकलांगता प्रमाण-पत्र प्र.ए. 21 है। संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में उक्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का खंडन नहीं है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर **वादप्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित** पाया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

9. सुनील (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 10 में साक्ष्य दी है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.ए. 14 है, संपत्ति जप्ती पत्र प्र.ए. 15, प्र.ए. 17, प्र.ए. 19 है, नुकसानी पंचनामा प्र.ए. 18, वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए. 16 है। इन दस्तावेजी साक्ष्य प्र.ए. 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इंडिको एम.पी. 50

सी. 1961 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने पर अपराध क्रमांक 71/2014 थाना रूपझर द्वारा पंजीबद्ध दिनांक 04.06.14 को की है। प्र.ए. 2 के अनुसार आहत सुनील के बड़े भाई अशोक से मिलकर कथन लिया जिसके अनुसार उक्त वाहन के चालक ने तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर लाया, ठोस मार दिया जिससे चोट लगी, की खबर सुनकर वह अपने भाई संतु के साथ मोके पर पहुँचा और आहत को बेहोशी हालत में मिताली अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया।

10. प्र.ए. 13 दुर्घटना वाला स्थल है जिसके अनुसार उक्ता से बालाघाट जाते समय बायीं ओर ए अक्षर से दर्शित दुर्घटनास्थल है जिससे स्पष्ट है कि आहत सड़क किनारे बायीं ओर था और बालाघाट से बैहर की ओर जा रही जीप अपने सही दिशा की ओर न चलकर विपरीत दिशा में चली जाने से दुर्घटना हुई है। प्र.ए. 14 के अनुसार पुलिस ने अनावेदक क्रमांक 1 पवन भंडारी को गिरफ्तार किया है अर्थात् वह चालक था। जप्ती पत्र प्र.ए. 15 के अनुसार सरल क्रमांक 12 में अनुक्रमांक 2 पर इश्युरेंस नेशनल कंपनी जो सलीमउद्दीन पिता अमीनद्दीन वार्ड नंबर 3 बालाघाट के नाम से बीमित है। एक आर.सी. बुक वाहन क्रमांक एम.पी. 50 सी. 1961 की जप्त है जिसमें उक्त व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत है। ड्रायविंग लाईसेंस क्रमांक एम.पी. 50 जी. 20080055287 पवन भंडारी वार्ड नंबर 11 बूढ़ी बालाघाट के नाम से है जो दिनांक 23.10.2008 से 22.10.2028 तक के लिये वैध है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर **वादप्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित** पाया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

11. इस वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी पर है। बीमा कंपनी ने अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं है। प्र.ए. 13 के नक्शा मौका के खिलाफ कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। चालक के

पास वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति न होने की कोई साक्ष्य/प्रमाण पेश नहीं किया है। अतः साक्ष्य के अभाव में **वाद प्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित नहीं** है।

वादप्रश्न क्रमांक 4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

12. सुनील कुमार (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 8 में कथन किया है कि उपचार में 6,50,000/-रु. व्यय हुए हैं, भविष्य में उपचार के लिए 2,00,000/-रु. व्यय होंगे, आवेदक ने प्र.ए. 49 लगायत प्र.ए. 58, प्र.ए. 60 लगायत प्र.ए. 118 तक के दवाई क्रय करने के बिल, ब्लड बैंक के बिल, पैथोलॉजी के बिल पेश किए हैं। जिनका योग 2,07,840/-रु. है। प्र.ए. 117 के फाईनल बिल में प्र.ए. 95, प्र.ए. 96, प्र.ए. 98, प्र.ए. 99, प्र.ए. 100 की राशियां शामिल हैं जो 1,28,000/-रु. होती है। प्र.ए. 117 के बिल की कुल राशि 1,39,444/-रु. में से अग्रिम जमा 1,28,000/-रु. के पश्चात् शेष राशि 11,444/-रु. प्र.ए. 117 में दर्शित है। यह 11,444/-रु. प्र.ए. 101 द्वारा जमा की गई है। कुल व्यय 2,07,840/-रु. उपचार में हुआ है।

13. यात्रा व्यय के संबंध में आवेदक की ओर से प्र.ए. 19, प्र.ए. 20, प्र.ए. 21, प्र.ए. 22, प्र.ए. 23 की रसीदें पेश हैं। इस बिल में पेन नम्बर दर्शित है। श्री दुर्गा टूर एंड ट्रेवल्स के बिल हैं जिनकी कुल राशि 25,000/-रु. की रसीदें हैं जो आवेदक की गंभीर स्थिति के आधार पर उसके उपचारार्थ सड़क मार्ग द्वारा चिकित्सालयों में उसे ले जाने पर व्यय हुआ पाया जाता है।

14. आर्टिकल ए-1 लगायत आर्टिकल ए-3 के फोटोग्राफ्स से आहत की सहज यात्रा करने की स्थिति न होना दर्शित होती है। उसे उपचारार्थ भर्ती रहना पड़ा है। दुर्घटना प्र.ए. 1 के अनुसार दिनांक 29.05.14 के 10 बजे की है। फाईनल बिल प्र.ए. 117 दिनांक 14 जून 2014 का है, विकलांगता प्रमाण-पत्र प्र.ए. 21 है जो डॉ. रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी (आ.सा.2) के कथन के अनुसार दिनांक 22.01.2016 को चिकित्सा मंडल के सदस्य की हैसियत से प्र.ए. 21 का

जॉच उपरांत विकलांगता प्रमाण-पत्र तैयार किया था जिसके ए से ए, बी से बी और सी से सी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने विकलांगता का प्रतिशत 40 लेख कर साक्षी को बताया है जो स्थायी प्रकृति की है।

15. दिनांक 29.05.2014 के पश्चात् लगभग तीन माह तक आवेदक अपना कार्य नहीं कर पाया है। इस अवधि में शारीरिक और मानसिक पीड़ा हेतु आवेदक को 25,000/-रु. क्षतिपूर्ति दिया जाना उचित है। इन तीन माह की अवधि में एक सहायक के लिए 15,000/-रु. दिलाया जाना उचित है। इस अवधि में खान-पान पौष्टिक आहार हेतु 6,000/-रु. दिलाया जाना उचित है।

16. आवेदक स्वयं ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 12 में साक्ष्य दी है कि साक्षी के अलावा उसके 5 भाई हैं। सबसे बड़ा अशोक फिर संतू, सताष, सुशिल, अजय है। आवेदक छट्वाँ भाई है, सबसे छोटा है। उनका पारिवारिक व्यवसाय मुर्गी खरीदी बिक्री का है जो पिता ने शुरू किया था। पिता जीवित है। साक्षी और उसके भाई सभी यही व्यवसाय करते हैं। वे स्वयं मुर्गी पालन नहीं करते हैं, खरीदकर लाते हैं और विक्रय करते हैं। इसी पद में स्वीकार किया है कि मुर्गी पालन से 12,000/-रु. मासिक आय के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिमाह कितनी मुर्गी बेची गई, कितनी खरीदी गई की पंजी पेश नहीं की है। इस साक्ष्य से स्पष्ट है कि मुख्य व्यवसायी उसके पिता हैं और सभी भाई पिता का सहयोग करते हैं। इस प्रकार आवेदक की स्थिति एक श्रमिक से अधिक नहीं है। इस प्रकार आवेदक की मासिक आय 4,500/-रु. आंकी जाती है। आवेदक तीन माह तक आय अर्जित नहीं कर पाया इसलिए उसे 13,500/-रु. आय की क्षति होना पाया जाता है।

17. तर्कों के अनुसार आवेदक मुर्गी विक्रय केन्द्र में बैठकर तौल के आधार पर राशि लेना और देना की सहायता अपने पिता को बखूबी कर सकता

है। अन्य 5 भाई जिनके नाम उपर लिखे हैं, वे बालाघाट से मुर्गी क्रय कर अपने विक्रय केन्द्र में ला सकते हैं। इस प्रकार पिता के व्यवसाय में किसी प्रकार की क्षति नहीं आयी है। आवेदक स्वयं ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 14 में स्वीकार किया है कि जब वह नागपुर में भर्ती था तब दवाई और ईलाज का सारा खर्च उसके बड़े भाई संतू ने किया है। पद क्रमांक 15 में स्वीकार किया है कि भविष्य में लगने वाले ईलाज के खर्च के संबंध में साक्षी ने कोई चिकित्सीय अभिमत प्रकरण में पेश नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2015 के बाद से आज तक ईलाज जारी रहने के संबंध में कोई डॉक्टर पेश नहीं की है। यह स्वीकार किया है कि साक्षी अपना दैनिक काम कर लेता है। यह स्वीकार किया है कि वह बिना सहारे के चलकर बयान देने आया है और खड़ा होकर बयान दे रहा है।

18. उपलब्ध संपूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आवेदक सुनील को कुल $(207840 + 25000 + 25000 + 15000 + 6000 + 13500) = 292340/-$ रूपए क्षति होना पाया जाता है। उक्तानुसार **वादप्रश्न क्रमांक 4 निराकृत** किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 5 सहायता एवं व्यय :-

19. मोटर दुर्घटना दावा में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण साक्ष्य के आधार पर किया गया है। वादप्रश्न क्रमांक 5 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्वावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

{अ} आवेदक सुनील को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल 292340/-रूपए [दो लाख ब्यानबे हजार तीन सौ चालीस रूपए], अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 9 प्रतिशत ब्याज सहित पाने का अधिकारी है।

{ब} आवेदक को प्राप्त होने वाली राशि 2,92,340/-रुपए आवेदक के परिजनों ने व्यय किए हैं, इसलिए प्राप्त होने वाली राशि आवेदक सुनील और उसके भाई संतू (जिसका बैंक में वास्तविक नाम जो भी हो) के संयुक्त बचत खाते में ई-भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे।

{स} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{द} अधिवक्ता शुल्क 1100/-रुपए देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित
किया गया।

सही/-

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही/-

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अनावेदक क. 1, 2	अनावेदक क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20-00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	30-00	-	10-00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	10-00	10-00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100-00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	योग —	1160-00	1110-00	1120-00

सही/-

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर